

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021/813

प्रकरण संख्या 511/21

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



अनवान

श्रीमति कंकूबाई बनाम श्री धन्ना

अनवान

1. श्रीमती कंकूबाई पुत्री श्री धन्नाजी गाडरी, पत्नि शंकरलाल गाडरी, निवासी- खेरोदा, तहसील-भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)।

.....वादीया

बनाम

1. श्री धन्ना पिता श्री नारायण गाडरी, अर्द्ध विक्षिप्त जरिये संरक्षक अमरचन्द पिता धन्ना गाडरी, निवासी - भोपाखेड़ा, तहसील - भीण्डर, जिला - उदयपुर।
2. श्री अमरचन्द पिता धन्ना गाडरी, निवासी- भोपाखेड़ा, तहसील- भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती अमरीबाई पत्नि अमरचन्द गाडरी, निवासी- भोपाखेड़ा, तहसील- भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती टांकुबाई पुत्री धन्ना गाडरी, निवासी- नीमड़ी, तहसील- भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज.)
5. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार उप पंजीयक भीण्डर तहसील- भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज.)।
6. श्री भीमा पिता श्री नारायण गाडरी, निवासी - भोपाखेड़ा, तहसील भीण्डर जिला-उदयपुर।
7. श्रीमती नानी पिता श्री नारायण गाडरी, निवासी - भोपाखेड़ा, तहसील भीण्डर जिला-उदयपुर।
8. श्रीमती गोकली पिता श्री नारायण गाडरी, निवासी - भोपाखेड़ा, तहसील भीण्डर जिला-उदयपुर।

..... प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी : श्री नारायणलाल जाट

अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री मुकेश कुमार डांगी

निर्णय

दिनांक : 05.04.2022

1. वादीया श्रीमति कंकूबाई पुत्री श्री धन्नाजी गाडरी, पत्नि शंकरलाल गाडरी, निवासी- खेरोदा, तहसील-भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.) वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा- भोपा खेड़ा, पटवार हल्का - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरोदा, तहसील- भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज) में साबिक नम्बर आराजी नम्बर 668 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, खाता संख्या 54 आराजी नम्बर 110 रकबा 04 बिस्वा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 53 आराजी नम्बर 37, 103, 112, 115, 116, 120/2, 125, 431, 432, 435, 436, 437, 445, 521, 587 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 55 आराजी नम्बर 273, 274, 275 रकबा 02



सहायक कलक्टर  
भीण्डर

बीघा 10 बिस्वा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 51 आराजी नम्बर 433 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्बन्ध 2051 से 2054 में अंकन होकर खातेदारी हक से दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात का एक नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रेता दर्शा कर प्रतिवादी संख्या 03 श्रीमती अमरी के नाम का बिना श्री धन्ना के ज्ञान, बिना सहमति, बिना समझ, बिना विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल की राशि लिये- दिये, बिना कब्जा लिये-दिये निष्पादित करा दिया गया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/4 हिस्सा, 1/4, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 श्री धन्ना, 2 श्री अमरचन्द, 4 श्रीमति टांकुबाई का है क्योंकि ऊपर वर्णित आराजीयात वादीया की मोरूसी है, जिसमें वादीया तथा प्रतिवादी 1 से 4 का संयुक्त कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग है। प्रतिवादी संख्या 04 ने वादी बनने से इन्कार किया, इसलिए उसे प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है। वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 श्री धन्ना के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि में से वादीया को हिस्से अनुसार 1/4 भूमि का खातेदार घोषित कराया जाये। जिसको हमने दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी हुये।

2. प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 ने अपना काउन्टर क्लेम मय जवाबदावा पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आराजी नम्बर 668 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 110 रकबा 04 बिस्वा का 1/16 हिस्सा, आराजी नम्बर 37, 103, 109, 111, 112, 115, 116, 120/2, 125, 431, 432, 435, 436, 437, 445, 521, 587 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा का 1/8 हिस्सा, आराजी नम्बर 273, 274, 275 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा का 1/24 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 433 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा का 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2021 से प्रतिवादी संख्या 3 अमरी बाई को विक्रय कर आधिपत्य दिया जा चुका है एवं उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 3 अमरी बाई के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो चुकी है, जिसकी प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई ही एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के अलावा किसी अन्य का किसी भी तरह से कोई हक, हिस्सा, अधिकारी, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है। वादीया ने इस कलम में आराजी नम्बर 433 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा का 1/8 हिस्सा गलत अंकित किया है, 1/8 के स्थान पर 3/8 हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का जो विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना द्वारा पूरी तरह से सही तरीके से निष्पादित करा कर उसका पंजीयन करवाया गया है। इसमें वादीया द्वारा जो भी कथन किये गये है, वह पूरी तरह से गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना की हर प्रकार से देख-रेख व सेवा प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई द्वारा ही की जा रही है। वादीया द्वारा कोई भी सेवा व देख-रेख नहीं की जा रही है। वादीया ने जो भी प्रार्थना पत्र दिये है, वह पूरी तरह से गलत है। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक, अधिकारों को बेवजह नुकसान कारित करना चाहती है, जिससे वादीया ने इस प्रकार वाद मिथ्या आधारों पर पेश किया है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीया की मोरूसी नहीं है एवं न ही वादीया का किसी भी तरह से कोई नोशनल शेयर है एवं न ही वादीया का किसी भी तरह से कोई अधिकार है एवं न ही कोई कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग है।
3. प्रतिवादीगण 1 से 4 श्री धन्ना पिता नारायण, श्री अमरचन्द पिता धन्ना, श्रीमति अमरीबाई पत्नी अमरचन्द, श्रीमती टांकुबाई पुत्री धन्ना गाडरी द्वारा काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम- भोपाखेड़ा, पटवार हलका- भोपाखेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरोदा, तहसील- भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज.) परिशिष्ट-क जिसके आराजी संख्या 1184 रकबात्रफल 0.3700 हेक्टर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के नाम



सहायक कलक्टर  
भीण्डर

पर खातेदारी हक से दर्ज है। उपरोक्त आराजी के साबिक नम्बर 668 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा थे।  
**परिशिष्ट-ख** आराजी नम्बर 607 रकबा 0.2000 हेक्टर, आराजी नम्बर 609 रकबा 0.3400 हेक्टर कुल  
किता 02 रकबा 0.5400 हेक्टर भूमिका 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के नाम पर, 1/36  
हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उपरोक्त  
आराजीयात के साबिक नम्बर 273, 274, 275 किता 03, रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा थे। **परिशिष्ट-ग**  
जिसमें आराजी नम्बर 257 रकबा 0.0400 हेक्टर भूमि का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के  
नाम पर, 1/24 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सा. देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज  
है। उपरोक्त आराजी के साबिक नम्बर 110 रकबा 04 बिस्वा थे। **परिशिष्ट-घ** आराजी नम्बर 1035  
रकबा 0.1600 हेक्टर, आ.न. 222 रकबा 0.3100 हेक्टर, आ.न. 226 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 227  
रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 228 रकबा 0.4800 हेक्टर, आ.न. 236 रकबा 0.1800 हेक्टर, आ.न. 237  
रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 238 रकबा 0.1100 हेक्टर, आ.न. 239 रकबा 0.2700 हेक्टर, आ.न. 253  
रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 254 रकबा 0.06000हेक्टर, आ.न. 255 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 256  
रकबा 0.0400 हैक्टर, आ.न. 723 रकबा 0.7200 हेक्टर, आ.न. 727 रकबा 0.0100 हैक्टर, आ.न. 728  
रकबा 0.6500 हैक्टर, आ.न. 729 रकबा 0.3200 हैक्टर, आ.न. 730 रकबा 0.3200 हैक्टर, आ.न. 731  
रकबा 0.0200 हैक्टर, आ.न. 887 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 64 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 65 रकबा  
0.2800 हैक्टर, आ.न. 69 रकबा 0.3800 हैक्टर कुल किता 23 कुल रकबा 5.2200 हेक्टर भूमि का  
1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के नाम पर, 1/12 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन  
देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात के साबिक नम्बर 37, 103,  
109, 111, 112, 115, 116, 120/2, 125, 431, 432, 435, 436, 437, 445, 521, 587 किता 17, रकबा  
24 बीघा 03 बिस्वा थे। **परिशिष्ट-ङ** जिसमें आ.न. 770 रकबा 0.4400 हेक्टर भूमि का 3/8 हिस्सा  
प्रतिवादी संख्या 3 अमरीबाई के नाम पर, 1/4 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार  
के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उपरोक्त आराजी के साबिक नम्बर 433, रकबा 02 बीघा 01  
बिस्वा थे।



4. राजस्व ग्राम- भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरोदा, तहसील-  
भीण्डर, जिला- उदयपुर (राज.) में स्थित **परिशिष्ट-अ** जिसके आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि का  
1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना के नाम पर, 1/36 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी साकिन  
देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। **परिशिष्ट-ब** जिसमें आ. न. 876 रकबा. 0.0600  
हेक्टर, आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा. 0.0600  
हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा. 0.1500  
हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा. 0.0700  
हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना के नाम पर,  
1/36 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है।  
**परिशिष्ट-स** जिसके आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309  
रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312  
रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315  
रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1  
धन्ना के नाम पर, 1/36 हिस्सा देऊपत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी  
हक से दर्ज है तथा **परिशिष्ट-द** जिसमें स्थित आ. न. 1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167  
रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.

न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना के नाम पर, 1/36 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है।

5. उपरोक्त अंकित नारायणजी की पत्नि देऊबाई फौत हो चुकी है। देऊबाई के मरणोपरान्त उनकी जायदाद उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना, प्रतिवादी संख्या 6 भीमा, प्रतिवादी संख्या 7 नानी, प्रतिवादी संख्या 8 गोकली में हिस्से बराबर से न्यायगमित हुई एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 7 नानी तथा प्रतिवादी संख्या 8 गोकली ने अपना-अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना व प्रतिवादी संख्या 6 भीमा दोनों भाईयों के पक्ष में हिस्से बराबर से उत्त्यागित कर दिया, परिशिष्ट (ख) में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/36 हिस्से में से 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। परिशिष्ट (ग) में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/24 हिस्से में से 1/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। परिशिष्ट घ में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/12 हिस्से में से 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। परिशिष्ट ङ में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। इसी प्रकार परिशिष्ट अ में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/36 हिस्से में से 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। परिशिष्ट - ब में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/36 हिस्से में से 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। परिशिष्ट - द में अंकित भूमि में देऊ पत्नि नारायण के नाम पर दर्ज 1/36 हिस्से में से 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का एवं 1/72 प्रतिवादी संख्या 6 भीमा का रहा। इस तरह देऊ पत्नि नारायण के हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा दोनो भाई हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार है।
6. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना द्वारा परिशिष्ट ख में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/72 हिस्सा, परिशिष्ट ग में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/48 हिस्सा, परिशिष्ट घ में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/24 हिस्सा, परिशिष्ट-ङ में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/8 हिस्सा तथा परिशिष्ट अ में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/24 हिस्सा यानि कुल 1/18 हिस्सा परिशिष्ट ब में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/24 हिस्सा यानि कुल 1/18 हिस्सा, परिशिष्ट स में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/24 हिस्सा यानि कुल 1/18 हिस्सा परिशिष्ट द में अंकित भूमि में से देऊ पत्नि नारायण से प्राप्त 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/24 हिस्सा यानि कुल 1/18 हिस्सा पारिवारिक सेटलमेन्ट से प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द को देकर इस भूमि का हर प्रकार से आधिपत्यधारी एवं खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द को बना दिया गया, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द इस हिस्से की भूमि पर लगातार निरन्तर निराबाध रूप से काबिज होकर बिना किसी बाधा के आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है एवं कानूनन तथ प्रतिकुल आधिपत्य से भी इस हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। इस प्रकार काउण्टर क्लेम में वर्णित भूमि में वादीया का, प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना का, प्रतिवादी संख्या 4 टांकुबाई का, प्रतिवादी संख्या 7 नानी का, प्रतिवादी संख्या 8 गोकली का किसी भी



तरह से कोई अधिकार नहीं है फिर भी वादीया प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 3 अमरीवाई के हक, अधिकारों को चुनौती दे रही है।

7. अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जरिये काउन्टर कलेम निवेदन किया है कि मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 99 के आराजी संख्या 607 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 609, रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी हिस्सा 1/36 दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 100 के आराजी संख्या 257 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी हिस्सा 1/24, जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.1600 हेक्टर, आ.न. 222 रकबा 0.3100 हेक्टर, आ.न. 226 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 227 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 228 रकबा 0.4800 हेक्टर, आ.न. 236 रकबा 0.1800 हेक्टर, आ.न. 237 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 238 रकबा 0.1100 हेक्टर, आ.न. 239 रकबा 0.2700 हेक्टर, आ.न. 253 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 254 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 255 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 256 रकबा 0.0400 हेक्टर, आ.न. 723 रकबा 0.7200 हेक्टर, आ.न. 727 रकबा 0.0100 हेक्टर, आ.न. 728 रकबा 0.6500 हेक्टर, आ.न. 729 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 730 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 731 रकबा 0.0200 हेक्टर, आ.न. 887 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 64 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 65 रकबा 0.2800 हेक्टर, आ.न. 69 रकबा 0.3800 हेक्टर कुल किता 23 कुल रकबा 5.2200 हेक्टर भूमि का 1/12 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 106 आराजी संख्या 770 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/4 देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा को हिस्से बराबर से खातेदार दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि 1/36 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी साकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है खाता संख्या 101 आ. न. 876 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा. 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर भूमि का 1/36 हिस्सा देऊ पत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि का 1/36 हिस्सा देऊपत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है खाता संख्या 103 आ. न. 1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि का 1/36 हिस्सा देऊपत्नि नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आराजियात में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से में दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 भीमा को खातेदार



सहायक कलेक्टर  
भीण्डर

काश्तकार घोषित किया जावे। एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण साकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है खाता संख्या 101 आ. न. 876 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा. 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है खाता संख्या 103 आ. न. 1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण गाडरी सकिन देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण गाडरी के हिस्से में दर्ज भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

8. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर निवेदन किया कि वादीया की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वाद में वादीया ने वादग्रस्त आराजीयात को मोरूसी होना बताया है तथा वादीया ने अपने वाद में सजरा भी पेश किया है। वादीया द्वारा जान बूझकर पूरा सजरा पेश नहीं किया गया है एवं न ही वाद में सही स्थित को बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 की माता तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2,4 की दादी देऊ पत्नि नारायण थी, जो फौत हो चुकी है। देऊ के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना के अलावा श्री भीमा पिता श्री नारायण गाडरी, आयु-वयस्क, निवासी- भोपा खेड़ा, श्रीमती नानी पिता श्री नारायण गाडरी, आयु-वयस्क, निवासी- भोपा खेड़ा, श्रीमती गोकली पिता श्री नारायण गाडरी, आयु-वयस्क, निवासी- भोपा खेड़ा है। यह कि प्रकरण के सही रूप से निस्तारण के लिए देऊ पत्नि नारायण के अन्य विधिक वारिस को भी इस प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना न्यायहित में बहुत ही आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अंकित देऊ पत्नि नारायण गाडरी के तीनों वारिसों को पक्षकार बनाया जाने हेतु निवेदन किया गया है।
9. वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 8 की ओर से प्रार्थना पत्र राजीनाम अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 8 के बीच में लोक अदालत की भावना से आपसमें राजीनामों से समझौता हो गया है, जिससे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 8 राजीनामों से हुए समझौते से सहमति के आधार पर डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं "कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की कलम नंबर 12 के फिकरा (अ),(ब), (स), (द) में चाहे गये अनुतोष के अनुसार काउन्टर क्लेम



स्वीकार फरमाया जावें एवं इसी अनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। वादीया का वाद खारिज फरमाया जावें।

10. हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया जिसमें मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हल्का - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 99 के आराजी संख्या 607 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 609, रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से में दर्ज 1/36 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 100 के आराजी संख्या 257 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/24 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/48 हिस्से बराबर से खातेदार खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.1600 हेक्टर, आ.न. 222 रकबा 0.3100 हेक्टर, आ.न. 226 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 227 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 228 रकबा 0.4800 हेक्टर, आ.न. 236 रकबा 0.1800 हेक्टर, आ.न. 237 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 238 रकबा 0.1100 हेक्टर, आ.न. 239 रकबा 0.2700 हेक्टर, आ.न. 253 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 254 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 255 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 256 रकबा 0.0400 हेक्टर, आ.न. 723 रकबा 0.7200 हेक्टर, आ.न. 727 रकबा 0.0100 हेक्टर, आ.न. 728 रकबा 0.6500 हेक्टर, आ.न. 729 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 730 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 731 रकबा 0.0200 हेक्टर, आ.न. 887 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 64 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 65 रकबा 0.2800 हेक्टर, आ.न. 69 रकबा 0.3800 हेक्टर कुल किता 23 कुल रकबा 5.2200 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/12 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पुत्र नारायण को 1/24 हिस्से बराबर से खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 106 आराजी संख्या 770 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/4 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/8 हिस्से बराबर से खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हल्का - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के दर्ज 1/36 हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। खाता संख्या 101 आ. न. 876 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 877 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा 0.



सहायक कमिश्नर  
भीण्डर

1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा  
1.6400 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 भूमि को प्रतिवादी संख्या 2  
अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से  
बराबर से खातेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं खाता संख्या 103 आ. न. 1166 रकबा. 0.  
1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169  
रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न.  
1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण  
गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी  
संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार बनाया जाना उचित प्रतीत  
होता है। एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा,  
तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी  
संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के दर्ज हिस्सा 1/24 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना  
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। खाता संख्या 101 आ. न. 876  
रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879  
रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882  
रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885  
रकबा. 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के  
दर्ज हिस्सा 1/24 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित  
किया जाना उचित प्रतीत होता है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308  
रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311  
रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314  
रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि में  
प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के दर्ज हिस्सा 1/24 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द  
पिता धन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। खाता संख्या 103 आ. न.  
1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर,  
आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700  
हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी  
संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के दर्ज हिस्सा 1/24 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना  
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

- 11- मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हलका - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर  
की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 99 के आराजी संख्या 607 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं  
आराजी संख्या 609, रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि में देऊ  
पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से में दर्ज 1/36 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/72  
हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पुत्र नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार  
घोषित किया जाता है। एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 100 के आराजी संख्या 257  
रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि में देऊ पत्नी नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/24 भूमि प्रतिवादी संख्या 2  
अमरचन्द पिता धन्ना को 1/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/48 हिस्से  
बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या  
के आराजी संख्या आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.1600 हेक्टर, आ.न. 222 रकबा 0.3100 हेक्टर, आ.



सहायक कलक्टर  
भीण्डर

न. 226 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 227 रकबा 0.2600 हेक्टर, आ.न. 228 रकबा 0.4800 हेक्टर, आ.न. 236 रकबा 0.1800 हेक्टर, आ.न. 237 रकबा 0.1000 हेक्टर, आ.न. 238 रकबा 0.1100 हेक्टर, आ.न. 239 रकबा 0.2700 हेक्टर, आ.न. 253 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 254 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 255 रकबा 0.0600 हेक्टर, आ.न. 256 रकबा 0.0400 हेक्टर, आ.न. 723 रकबा 0.7200 हेक्टर, आ.न. 727 रकबा 0.0100 हेक्टर, आ.न. 728 रकबा 0.6500 हेक्टर, आ.न. 729 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 730 रकबा 0.3200 हेक्टर, आ.न. 731 रकबा 0.0200 हेक्टर, आ.न. 887 रकबा 0.1300 हेक्टर, एवं खाता संख्या 105 के आ.न. 64 रकबा 0.1300 हेक्टर, आ.न. 65 रकबा 0.2800 हेक्टर, आ.न. 69 रकबा 0.3800 हेक्टर कुल किता 23 कुल रकबा 5.2200 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/12 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/24 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 106 आराजी संख्या 770 रकबा 0.4400 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/4 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/8 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हल्का - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 98 के आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के दर्ज 1/36 हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 101 आ. न. 876 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा. 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 103 आ. न. 1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि में देऊ पत्नि नारायण गाडरी के हिस्से दर्ज 1/36 प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को 1/72 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 भीमा पिता नारायण को 1/72 हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मौजा भोपा खेड़ा, पटवार हल्का - भोपा खेड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक - खेरोदा, तहसील- भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 खाता संख्या 98 आ.न. 922 रकबा 0.5600 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 घन्ना पिता नारायण के दर्ज हिस्सा 1/24 के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता घन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खाता संख्या 101 आ. न. 876 रकबा. 0.0600 हेक्टर,



आ.न. 877 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 878 रकबा. 0.0900 हेक्टर, आ.न. 879 रकबा. 0.0600 हेक्टर, आ.न. 880 रकबा. 0.2500 हेक्टर, आ.न. 881 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 882 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ.न. 883 रकबा. 0.0700 हेक्टर, आ.न. 884 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 885 रकबा. 0.0700 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 0.9800 हेक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के दर्ज भूमि हिस्सा 1/24 (1/36+1/72) धन्ना के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 102 आ.न. 307 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ.न. 308 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 309 रकबा. 0.2000 हेक्टर, आ.न. 310 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 311 रकबा. 0.1000 हेक्टर, आ.न. 312 रकबा. 0.4300 हेक्टर, आ.न. 313 रकबा. 0.1800 हेक्टर, आ.न. 314 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ.न. 315 रकबा. 0.1800 हेक्टर कुल किता 09 रकबा 1.6400 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के दर्ज भूमि हिस्सा 1/24 (1/36+1/72) के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 103 आ. न. 1166 रकबा. 0.1400 हेक्टर, आ. न. 1167 रकबा. 0.1500 हेक्टर, आ. न. 1168 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1169 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1170 रकबा. 0.0800 हेक्टर, आ. न. 1171 रकबा. 0.1700 हेक्टर, आ. न. 1172 रकबा. 0.1700 हेक्टर, कुल किता 07 कुल रकबा. 0.9600 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पिता नारायण के नाम दर्ज भूमि हिस्सा 1/24 भूमि धन्ना के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 अमरचन्द पिता धन्ना को 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

12- तहसीलदार भीण्डर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते समय जिसको नवीन खातेदार घोषित किया गया है उनके नाम पूर्व में दर्ज भूमि को उनके हिस्से में रखते हुये अभी इसी डिक्री के द्वारा जो अतिरिक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है दोनो को सम्मिलित करते हुए उसके कुल हिस्से को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे। तहसीलदार भीण्डर को तहरीर जारी हो की राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय सरे इजलास में सुनाया गया।

13- डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(रमेश सीरवा पुनाड़िया RAS)  
सहायक कलक्टर  
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)  
भीण्डर